

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2016
क्रमांक एफ 12-1/2016/सत्रह/मेडि-3 राज्य शासन तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अंतर्गत प्रदेश में बांझपन से ग्रसित महिलाओं के उपचार को सम्मिलित कर इसे योजना अंतर्गत चिन्हित बीमारियों की सूची में क्रमांक 21 पर स्थापित करता है ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खान)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 12-1/2016/सत्रह/मेडि-3,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक /4/ जनवरी, 2016

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन ।
- 2 विशेष सहायक, मा.मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
- 3 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 4 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 5 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय विभाग ।
- 6 महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।
- 7 सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल ।
- 8 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ म0प्र0, भोपाल । (कृपया आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें)
- 9 मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. म0प्र0, भोपाल ।
- 10 समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
- 11 संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ।
- 12 संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
- 13 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
- 14 समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
- 15 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
- 16 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- 17 समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
- 18 गार्ड फाईल 119. प्रेस अधिदारी, जनसंपर्क कार्यालय (प्रेस प्रोडिप) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । मंत्रालय, भोपाल

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग